कार्यपालक अभियन्ता, यॉंत्रिक का कार्यालय,
सिंचाई यांत्रिक मोनिटरिंग एवं डिस्पोजल प्रमंडल,
आवास संख्या–71/84, न्यू पुनाईचक, पटना–23
E-mail ID:-eeimmddpatna@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अति अल्पकालीन कोटेषन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ) – 02/2025–26.

पत्रांक– .... पटना, दिनांक–

कार्यपालक अभियंता, यॉंत्रिक सिंचाई यॉंत्रिक मोनिटरिंग एवं डिस्पोजल प्रमंडल, पटना द्वारा परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित सभी यॉंत्रिक संबंधित योजनाओं का निरीक्षण एव अन्य कार्यालय संबंधी कार्यो हेतु भाड़े पर 01 अदद वाहन (बोलेरो/स्कॉर्पिओ) के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फर्म से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। जिसे मोहर बंद लिफाफे में दिनांक–28.03.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक सिंचाई यॉंत्रिक मोनिटरिंग एव डिस्पोजल प्रमंडल, पटना कार्यालय में जमा किया जाएगा। और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेगें।

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक 16.03.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक 28.03.2026 को 03:00 बजे अपराह्न।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता, यॉंत्रिक सिंचाई यॉंत्रिक मोनिटरिंग एवं डिस्पोजल प्रमंडल, पटना
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक–28.03.2026 को 3:30 बजे अपराह्न।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, यॉंत्रिक सिंचाई यॉंत्रिक मोनिटरिंग एवं डिस्पोजल प्रमंडल, पटना

नियम एवं शर्ते

1 भाड़े पर वाहन वित्तीय वर्ष तक अर्थात 31 मार्च 2027 तक के लिए रखा जाएगा।

2. भाड़े की गाड़ी का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी० एस० टी०, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
4. कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

कम संख्या	वाहन का प्रकार (निबंधन संख्या सहित)	इंधन रहित एवं चालक सहित मासिक भाड़ा सभी करों यथा GST, IT etc. सहित

5. वाहन परिवहन विभाग, बिहार सरकार मोटरयान अधिनियम के मानकों के अनुरुप परिचालन योग्य एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
6. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ–सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
7. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड कर) की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
8. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
9. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
10. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
11. वाहन के उपयोग के विरुद्ध मासिक किराया इंधन रहित देय होगा।
12. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन चालक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग सबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया इंधन रहित भुगतान किया जायेगा।

13. वाहन का किराया प्रतिमाह दर समाहरणालय, पटना जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक–2207 दिनांक–22.07.2025 द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर 31900 (रू0 इक्कतीस हजार नौ सौ) मात्र प्रतिमाह एवं आपके द्वारा उद्धत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान आवंटन प्राप्त होने के पश्चात किया जाएगा। मासिक किराया ईधन रहित एवं चालक सहित (सभी कर सहित) देय होगा। कोटेशन दाता के साथ रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा सतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।

14. क्रमांक 13 में अंकित भुगतान के अलावा मात्र डीजल फ्यूल, विभाग के द्वारा दिया जाएगा।

15. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण–पत्र एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।

16. आवयकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्री समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।

17. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगे।

18. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाडे का भुगतान दोगुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।

19. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

20. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार करो की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।

21. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तिय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।

22. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरुद्ध निर्णित मासिक दर से इंधन रहित देय होगा।

23. वाहन का माईलेज वास्तविक रुप से डाले गये इंधन अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।

24. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 24 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेगें। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। जिसकी सूचना वैध कोटेशनदाता के मोबाईल न0/Whatsapp/E-mail ID के द्वारा किया जाएगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता लॉटरी के समय उपस्थित रहेगें अथवा इनकी या इनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जाएगा तथा, इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही होगा।

शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

16/03/26

(इं जयंत)
कार्यपालक अभियंता, यॉंत्रिक
सिंचाई यॉंत्रिक मोनिटरिंग एवं
डिस्पोजल प्रमंडल, पटना

2164
16/03/26